

13. बैंक का ब्यौरा

क. बैंक खाता संख्या

ख. बैंक और शाखा का नाम

14. इस कस्बे/शहर में रहने की वर्षों में संख्या

[0 से 1 वर्ष - 01, 1 से 3 वर्ष - 02, 3 से 5 वर्ष - 03, 5 वर्ष से अधिक - 04]

15. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र वर्ग मीटर में)

16. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी भूमि है? (हां/नहीं)

ग. यदि हां, तो स्थान का ब्यौरा दें।
(बस्ती/ शहर/ राज्य)

घ. यदि हां, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें।

17. रोजगार की स्थिति

(स्व-रोजगार - 01, वेतनभोगी - 02, नियमित मजदूरी - 03,
मजदूर - 04, अन्य - 05)

18. परिवार की औसत मासिक आय (रूपए में)

19. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है (हां / नहीं)

क. यदि हां, बीपीएल कार्ड संख्या दें।

20. परिवार की आवास आवश्यकता

(नया घर - 01, वृद्धि - 02)

21. वृद्धि के मामले में कृपया अपेक्षित वृद्धि का उल्लेख करें।

[एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय अथवा ये सभी संयुक्त रूप से]

22. मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अंतर्गत सभी के लिए

आवास (एचएफए) के तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है

i. ऋण से जुड़ी सब्सिडी - 01

ii. भागीदारी में किफायती आवास - 02

iii. स्व-निर्माण - 03

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

नोट: 'अपात्र स्लम वासियों और उन स्लमों के लाभार्थियों के लिए ऐसे ही प्रारूप का उपयोग किया जायेगा जिनके लिए "सभी के लिए आवास" स्कीम के दिशानिर्देशों के पृष्ठ सं. 24 पर सभी के लिए आवास कार्य योजना के फ्लो-चार्ट प्रक्रिया के अनुसार निजी भागीदारी के माध्यम से स्लम पुनर्विकास के लिए विचार नहीं किया गया है।

उपर्युक्त सूचना के शंहरी स्थानीय निकाय प्रभारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर